भारत सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म [1]
(इस फार्म का प्रयोग ऐच्छिक है । सादे कागज पर लिखा गया आवेदन भी स्वीकार्य है) ।

कृपया साफ अक्षरों में भरें

<u>भाग I</u>

1. आवेदक का नाम :
2. जन्म तिथि (ऐच्छिक) :
3. लिंग (ऐच्छिक) : महिला/पुरूष:
4. पत्राचार के लिए पता, पिनकोड सहित
   (सूचना/उत्तर प्राप्त करने के लिए कृपया सही पता लिखें)
5. क्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं: हां/नहीं
   (यदि हैं, तो कृपया प्रमाण लगाएं)
6. क्या भारत के नागरिक हैं: हां/नहीं

<u>भाग II</u>

(i) मांगी गई सूचना का विवरण दें:

(ii) मांगी गई सूचना निम्नलिखित किस रूप में दी जानी है:

(क) मुद्रित रूप में

(ख) डिस्केट अथवा फ्लॉपी में

(ग) क्या रिकार्डों को भी देखना चाहेंगे?

(iii) क्या 10/- रूपए (दस रुपए) का आवेदन शुल्क [2] अदा किया गया है? यदि हां, तो कृपया बताएं कि क्या नकद (कृपया रसीद की प्रति संलग्न करें) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक (''वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य'' के पक्ष में आहरित, नई दिल्ली में देय) के रूप में अदा किया गया है । यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित है तथा उसने इस तथ्य का प्रमाण भी संलग्न किया है तो उसे कोई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

इस फार्म में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इसकी सत्यता के संबंध में मैं अकेले ही उत्तरदायी हूं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि:

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त फार्म आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है । तथापि इसका प्रयोग आवेदक पर निर्भर करता है । वह सादे कागज़ पर भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

2. आवेदक का ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क अदा करने की आवश्यकता भी हो सकती है ।

सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुदेश तथा प्रक्रिया

1. सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया:

(क) सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा उस क्षेत्र की शासकीय भाषा में संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं । आवेदन सादे कागज़ पर किया जा सकता है और यदि आवेदक चाहे तो http://cabsec.nic.in वेबसाइट में उपलब्ध फार्म में भी आवेदन कर सकता है । सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन के साथ दस रुपए का आवेदन शुल्क भी संलग्न किया जाएगा जो उचित रसीद प्राप्त करके नकद अथवा "वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य'' को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैकों के माध्यम से अदा किया जा सकता है।

2. सूचना प्राप्त करने की समय सीमा :

(क) आवेदन करने की तिथि से 30 दिन ।
(ख) किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित सूचना के लिए 48 घंटे ।
(ग) यदि सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन सहायक जनसूचना अधिकारी को दिया गया है तो जवाब देने के उपर्युक्त समय में 5 दिन और जोड़े जाएंगे ।
(घ) यदि किसी तीसरे पक्ष के हित भी शामिल हैं तो समय सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम समयावधि + उस पक्ष को अभ्यावेदन करने के लिए दिया गया समय) ।
(ङ) निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदान न किया जाना इंकार करना माना जाएगा ।

3. शुल्क:

धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुरोध के साथ दस रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा जो उचित रसीद प्राप्त कर नकद अथवा ''वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य'' को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैकों के माध्यम से अदा किया जा सकता है ।

धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा जो उचित रसीद प्राप्त करके नकद अथवा ''वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य'' को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैकों के माध्यम से अदा किया जा सकता

है:-

(क) बनाए अथवा प्रतिलिपि (कॉपी) किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 आकार के कागज़ पर) के लिए दो रुपए;
(ख) बड़े आकार के कागज में एक प्रति की वास्तविक लागत अथवा लागत-कीमत;
(ग) सैम्पलों अथवा मॉडलों की वास्तविक लागत अथवा मूल्य; तथा
(घ) रिकार्डों को देखने हेतु प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; उसके बाद के प्रत्येक घंटे (अथवा उसके खंड) के लिए पांच रुपए का शुल्क ।

धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा जो उचित रसीद प्राप्त करके नकद अथवा ''वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य'' को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैकों के माध्यम से अदा किया जा सकता है:-

(क) डिस्केट अथवा फ्लापी में दी गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट अथवा फ्लापी पचास रुपए; तथा
(ख) मुद्रित रुप में प्रदान की गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु निर्धारित कीमत अथवा प्रकाशन में से लिए गए उद्धरणों की फोटो प्रति के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ ।

4. सूचना मांगने के आवेदन को अस्वीकार करने के आधार:

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली किसी भी सूचना/दस्तावेज को प्रदान करने संबंधी अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है:

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (8) के उपबंधों के अंतर्गत छूट प्राप्त ।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की (धारा 9) के अनुसार राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के स्वत्वाधिकार का अतिलंघन ।

***